न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चौहटन जिला बाड़मेर

[illegible] अधिकारी – कुसुमलता चौहान, आर.ए.एस

राजस्व आवेदन :– 300 / 2024 अन्तर्गत धारा 251 'क' Rt Act

अनवान :–

प्रार्थीगण :–

1.अब्दुलमजीद पुत्र खानमोहम्मद
जाति मुसलमान, निवासी बामणोर अमीरशाह (बामणोर)
तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर

बनाम

विप्रार्थीगण :–

1.गुला पुत्र सुमार, जाति मुसलमान
निवासी बामणोर अमीरशाह (बामणोर), तहसील धनाऊ,
2.शाखा प्रबन्धक एसबीआई बैंक शाखा भूणिया
3.तहसीलदार धनाऊ

वकील प्रार्थीगण :– श्री दोष मोहमद

वकील विप्रार्थीगण :– एकतरफा

निर्णय

दिनांक 26.06.2025

प्रार्थी अब्दुलमजीद पुत्र खानमोहम्मद, जाति मुसलमान, निवासी बामणोर अमीरशाह (बामणोर), तहसील धनाऊ जिला बाड़मेर द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत 251 (क) राजस्थान काश्तकारी / संशोधन अधिनियम के [illegible] प्रकार है कि प्रार्थी सदभावी काश्तकार है। प्रार्थी के खातेदारी का खेत मौजा [illegible] अमीरशाह (बामणोर) तहसील धनाऊ, जिला बाड़मेर में खसरा नं. [illegible]476 रकबा [illegible]893 हैक्टयर का आया हुआ है। प्रार्थी ने अपने खेत से कटाण रास्ता [illegible] अपने का[illegible] खेत में से मदरसा फैजे कादरिया के लिए भूमि समर्पण [illegible] गई तथा वर्तमान [illegible]सा बना हुआ है। जिसमें 250 छात्र–छात्रा अध्ययन कर रहे है। प्रार्थी की जो व ढाणी पर आने जाने व मदरसा में छात्र–छात्रा को आने जाने के लिए विप्रार्थी के खातेदारी खेत खसरा सं. 479 / 378 रकबा 01.6187 हैक्टयर में से रास्ता दिया जावे। उसकी उक्त जोत पर आने

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

कोई रास्ता नहीं है एवं काश्त के समय प्रार्थी की जोत के चारों ओर के काश्तकार अपनी काश्त कर लेते है। जिससे प्रार्थी अपनी जोत एवं छात्रा–छात्राऐं मदरसा में जाने जाने से बाधित होते है। अतः प्रार्थी को विप्रार्थी के खातेदारी के खेत खसरा सं. 479/378 रकबा 01.6187 हैक्टयर में 18 फीट चौड़ा रास्ता रास्ता दिया जावे।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र [illegible] विप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/रजि. नोटिस तलब किया गया। चाहे गये रास्ते के संबंध मौका रिपोर्ट हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा गया। विप्रार्थीगण सं. 1 की [illegible] अधिवक्ता श्री ईलमखान समेजा ने अण्डर टेकिंग ली। विप्रार्थी सं. 1 को वकालतनामा पेश करने का पर्याप्त अवसर दिया गया बावजूद पेश वकालतनामा पेश नहीं किया एवं शेष विप्रार्थीगण की ओरे से कोई उपस्थित नहीं आया, अतः विप्रार्थीगण के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। तहसीलदार से मौका रिपोर्ट प्राप्त हुई।

पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित हुए। प्रार्थी अधिवक्ता की एकतरफा बहस सुनी गई । बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अध्ययन अवलोकन किया गया, तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। जिससे यह स्पष्ट होता है कि प्रार्थी को रास्ते की आत्यांतिक आवश्यकता है और यह केवल सुविधा जनक उपभोग के लिए नहीं है। इसका कोई अन्य विकल्प नहीं है। जैसा कि मौका रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रार्थी के खेत से गांव, आबादी, बस स्टेशन , स्कूल आदि तक आवागमन का कोई अन्य रास्ता नहीं है।

अतः प्रार्थी की मांग उचित प्रतित होती है और प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है वो न्याय संगत है। प्रार्थी को जो रास्ता दिया जाना है उसका विवरण निम्नानुसार हैः–

क्र. सं.	खसरा संख्या	रकबा हैक्टयर में	किस्म	रास्ते की चौड़ाई फीट में	रास्ते हेतु समाविष्ट भूमि का रकबा	मौजा	खातेदार का नाम
1	2	3	4	5	6	7	8
1	479/378	01.6187	बा.सो.	20 फीट	00.0850	बामणोर अमीरशाह	गुला पुत्र सुमार, जाति मुसलमान

प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस व फर्द मौका में अनुसार प्रार्थी को उपरोक्त खसरान के अंदर से जो रास्ता दिया जाना है वह आंशिक नक्शा में बरंग आसमानी से दर्शाया गया रास्ता प्रार्थी को दिया जाता है और इस प्रस्तावित नए मार्ग में कोई मकान व कीमती पेड़ और न ही किसी प्रकार का बेरा/टांका बना हुआ है।

राजस्थान काश्तकारी (सरकारी/संशोधन) नियम 2012 द्वारा अन्तः स्थापित अध्याय 12 के नियम 70(11) (a) में स्पष्ट है कि अगर समझौते से क्षतिपूर्ति राशि का समाधान नहीं होता है तो जिला स्तरीय कमेटी/ डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की दर से प्रभावित पक्षकार को क्षतिपूर्ति के रूप में राशि दी जाकर प्रार्थीगण को रास्ता दिया

उपखण्ड अधिकारी चौहटन

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:44 IST
Reason: SelfAttested

[illegible]ता है। और अन्य कोई पेड़ फसल या संरचना प्रस्तावित रास्ते में हो तो उनकी क्षति [illegible]र्ति हेतु वास्तविक नुकसान के आधार पर राशि देय होगी।

प्रस्तुत आवेदन में प्रस्तावित नए रास्ते में कोई मकान व कोई कीमति पेड़ या अन्य कोई संरचना नहीं है। अतः प्रभावित (पक्षकारों) / विप्रार्थीगण को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में प्रार्थी द्वारा देय होगी और प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों को दी जाने वाली राशि नए रास्ते के लिए प्रस्तावित समाविष्ट भूमि के रकबे की डीएलसी द्वारा निर्धारित दर से दौगुणा राशि के बराबर होगी। डीएलसी द्वारा निर्धारित निर्णय दिनांक की ही मान्य होगी और इसी आधार पर प्रार्थी द्वारा विप्रार्थीगण / प्रभावित पक्षकारों को भुगतान करना अनिवार्य होगा।

प्रार्थी के आवेदन की गंभीरता व आत्यांतिक आवश्यकता को मध्यनजर रखते हुए उनका आवेदन अंतर्गत धारा 251 (ए) की उपधारा (1) – (b) राजस्थान काश्तकारी संशोधित अधिनियम 2010 को स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार से प्राप्त मौका रिपोर्ट मय फर्द एवं सलंग्न आंशिक नक्शा ट्रेस में बरंग आसमानी 20 फीट चौड़ा रास्ता प्रार्थी के पक्ष में दिए जाने का आदेश दिया जाता है। मौका रिपोर्ट मय फर्द व नक्शा निर्णय का अनिवार्य भाग रहेंगे। तथा प्रार्थी को उपरोक्त खसरान में से प्रस्तावित नया रास्ता दिये जाने के लिए निम्नलिखित शर्तों की पालना अनिवार्य होगी :—

1. तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट में सलंग्न मौका नक्शा ट्रेस में बरंग आसमानी दर्शाया गया प्रस्तावित नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली कुल भूमि के रकबे की गणना कर निर्णय दिनांक को प्रचलित (लागू) डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा राशि की गणना करके तहसीलदार द्वारा सात दिवस में न्यायालय में प्रस्तुत की जायेगी। जिसमें प्रत्येक पक्षकार को देय राशि की अलग अलग गणना की जायेगी।

2. तहसीलदार द्वारा गणना उपरान्त बताई गई राशि का भुगतान प्रार्थी द्वारा प्रभावित पक्षकारों (विप्रार्थीगण) को नए रास्ते में समाविष्ट होने वाली उनकी भूमि के रकबे की क्षतिपूर्ति राशि के रूप में किया जो डीएलसी द्वारा निर्धारित दरों की दो गुणा के बराबर होगी।

3. प्रार्थी द्वारा नए प्रस्तावित रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के कुल रकबे हेतु निर्धारित क्षतिपूर्ति राशि विप्रार्थीगण (प्रभावित पक्षकारों) को प्रदान करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक रूप से नये रास्ते का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाये[illegible] का विनिश्चय किया जाएगा कि विप्रार्थीगण को क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त [illegible]। अगर प्रभावित पक्षकार उपस्थित होकर क्षतिपूर्ति राशि लेने [illegible] द्वारा यह राशि तहसीलदार को प्रस्तुत की जावेगी। [illegible] राशि [illegible] में जमा करने के उपरान्त ही तहसीलदार द्वारा भौतिक [illegible] का सीमांकन तथा राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जायेगा। जिसे तहसील[illegible]र द्वारा विप्रार्थीगण को वितरित करने की कार्यवाही की जावेगी।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:44 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

प्रस्तावित 20 फीट रास्ते में समाविष्ट होने वाली भूमि के संबंध में अभिधृति निर्वापित की हुई समझी जाएगी और वह भूमि राजस्व अभिलेखों में **"रास्ता"** के रूप में अभिलिखित की जायेगी। जो कि सार्वजनिक उपयोग के लिए प्रयुक्त होगा।

5. प्रार्थी को उक्त 20 फीट चौड़े रास्ते में केवल रास्ते हेतु प्रयुक्त अधिकारों के अतिरिक्त कोई भी अन्य अधिकार अर्जित नहीं होंगे।
6. रास्ते के रूप में समाविष्ट भूमि का रकबा संबंधित खसरों में से कम करते हुए राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाएगा।

उक्त शर्तों की पालना के अध्याधीन ही प्रार्थी को नया तथा 20 फीट चौड़ा रास्ता तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत मौका रिपोर्ट मय सलंग्न नक्शा में बरंग आसमानी दिए जाने का आदेश आज दिनांक 26.06.2025 को दिया जाता है। नियमानुसार निर्णय पालना हेतु तहसीलदार धनाऊ को लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 26.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली फैसला शुमार होकर दफ्तर दाखिल हो। संख्या से कम हो।

(कुसुमलता चौहान)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

Signature Not Verified

Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:44 IST
Reason: SelfAttested

आंशिक नक्शा किश्तवार
मौजा- बामोर अमीरगढ़
पैमाना 1"=40 गट्ठा
तह- धनाऊ

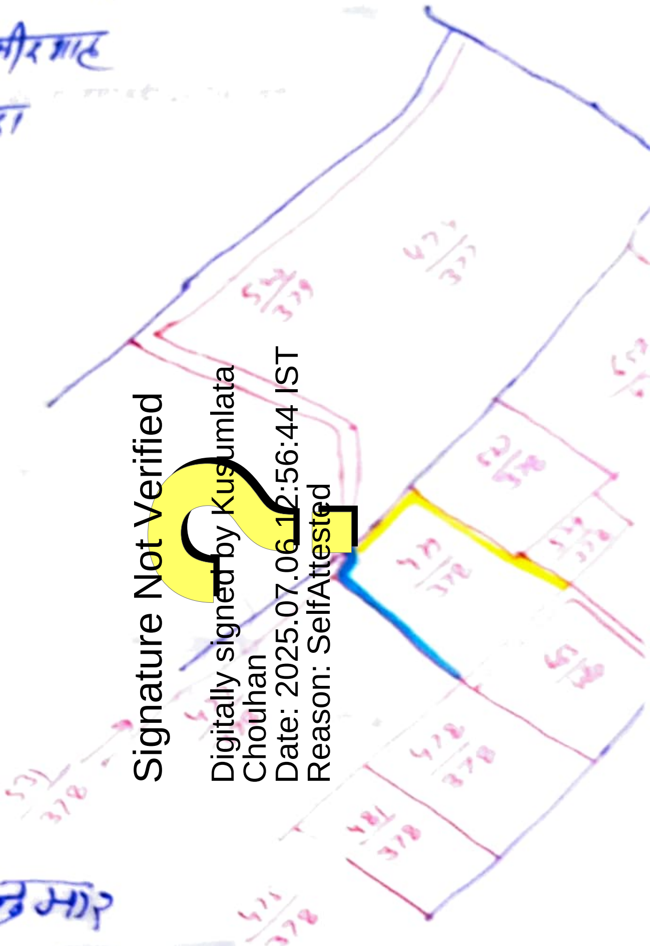

उपखण्ड अधिकारी
चौहान

Signature Not Verified
Digitally signed by Kusumlata Chouhan
Date: 2025.07.06 12:56:44 IST
Reason: SelfAttested

"प्रमाणित प्रतिलिपि"
P-35 क्रमांक 751/26.05.25 दिनांक

खेमाराम

हस्ताक्षर

हुकमा हैदर
अब्दुल मजीद
अमीन
मरहीर